



Neutral Citation No. 2026:AHC:19951

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 344 / 2026

अकरम खान और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 15 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

धर्म वीर जायसवाल हर्ष विक्रम

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अरुण कुमार पांडेय मुख्य स्थाई

अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थीग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडेय को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को यह आदेश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 1163/2022 (जिला अमरोहा)—अकरम खान व अन्य बनाम मोहम्मद फारुख व अन्य—का निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता गण द्वारा उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 229बी के तहत दायर किया गया पुनरीक्षण जो एक मुकदमे की कार्यवाही से जुड़ा है प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र की एक प्रति भी पेश की ताकि यह दिखाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद पुनरीक्षण संख्या 1163/2022 पर जल्द से जल्द निर्णय ले—अधिमानत: इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 3 महीने के भीतर—और ऐसा करते समय संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 जनवरी 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"